उत्तराखंड की खनन नीति बनी उदाहरण, सरकार को अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति

जम्मू कश्मीर सरकार भी अपने यहां लागू करेगी

किच्छा। उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर भले ही विपक्ष तथा अपने ही लोग अवैध खनन का आरोप लगा रहे हो लेकिन उत्तराखंड की खनन नीति जिसमें उत्तराखंड सरकार ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता दक्षता और राजस्व वृद्धि के लिए लागू की गई खनन डिजिटल परिवर्तन और निगरानी प्रणाली(स्छ्ञस्) को जम्मू कश्मीर सरकार अपने राज्य में लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। जिसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रणाली का अध्ययन किया और खनन नीति की बारीकियां को समझने का प्रयास किया। प्रतिनिधि मंडल ने इस प्रणाली की जमकर तारीफ की और अपने राज्य में लागू करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तराखंड सरकार की नई खनन नीति से मृत पर्याय पड़े हल्द्वानी क्षेत्र के स्टोन क्रशरों को एक नई संजीवनी प्राप्त हुई है इस नीति से न सिर्फ सरकार का राजस्व बड़ा है बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बड़ा है साथ ही साथ सरकार को खनन नीति में पारदर्शिता का फायदा भी मिला है जिसके फल स्वरुप सरकार को लगभग 1100 करोड़ का राजस्व

प्राप्त हुआ है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह सब संभव हुआ है उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड के खनन निदेशक राजपाल लेघा के इन नीतियों को धरातल पर अमली जामा पहनाने से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट आदेश था कि किसी भी तरह का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध खनन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में उत्तराखंड सरकार की नई खनन नीति तैयार हुई इसको धरातल पर उतारने का बेहतरीन काम अपने अनुभव से खनन निदेशक राजपाल लेघा ने अपनी टीम के साथ विभिन्न स्तरों पर मीटिंग तथा चर्चा कर किया। राज्य सरकार का मकसद राज्यहित में कठोर निर्णय लेकर खनन को उचित दिशा में ले जाना था। मुख्यमंत्री के उचित दिशा निर्देशन तथा मार्गदर्शन में खनन विभाग ने विभाग की पारदर्शी नीतियां ई नीलामी प्रक्रिया के सर्व सुलभ सरलीकरण तथा अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के फल स्वरूप2024-25 मैं खनन विभाग द्वारा करीब 1100 करोड रुपए का राजस्व अर्जित किया। इसके अलावा इंफोर्समेंट सेल और जिला स्तरीय खनन निगरानी इकाइयों के जरिए सरकार को पिछले कुछ वर्षों में अवैध खनन से 74.22 करोड़ रुपए की वसूली की गई। राज्य के खनन निदेशक राज्यपाल लेघा का कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ खनन से राजस्व अर्जित करना ही नहीं है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि राज्य में खनन का कार्य पूरी पारदर्शिता ईमानदारी तथा तकनीकी रूप से सुरक्षित और राज्य के पर्यावरण के अनुकूल हो खनन से राज्य के पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो यह भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है राज्य में अवैध खनन किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ईमानदार कारोबारी को हमेशा प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार की इस खनन नीति से अवैध खनन पर प्रभावी रूप से अंकुश लगा लेकिन सरकार के विरोधियों को यह खनन नीति रास नहीं आई। क्योंकि चाहे विपक्ष हो या अपने ही लोग उनके अपने हितों पर इस नीति ने अंकुश लगा दिया। हालांकि विपक्ष और सरकार के अपने ही कुछ लोग सरकार पर समय-समय पर अवैध खनन का आरोप लगाते रहे हैं लेकिन यह बात सच है की उत्तराखंड सरकार की इस प्रभावी खनन नीति से राज्य में मरणासन स्थिति में पहुंच चुके स्टोन क्रशरों को एक नई संजीवनी प्राप्त हुई है और उनका कारोबार बड़ा। स्थानीय स्तर पर सरकार की इस नीति की जमकर सराहना हो रही है इसी का परिणाम है कि जम्मू कश्मीर सरकार भी अपने राज्य में उत्तराखंड की खनन नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन उत्तराखंड के ही कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार को बदनाम करने और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सरकार पर और उसकी नीति पर तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं। जबकि इसी पारदर्शी खनन नीति के चलते सरकार को 1100 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है और सरकार पर अवैध खनन का आरोप लगाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा।